जहां तक अनुच्छेद 15(4) जोड़े जाने का संबंध है, संविधान(पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 के संबंध में हुई बहसों का विश्लेषण

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि चम्पकम दोरायराजन के मुकदमें में दिये गये निर्णय ने मद्रास राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थानों में किये गये आरक्षणों को अविधिमान्य ठहरा दिया था और सरकारी नियोजन की परिधि के बाहर हर प्रकार के अधिमानी व्यवहार को विवक्षा से वर्जित कर दिया था। इस निर्णय के कारण दक्षिण भारत में आंदोलन छिड़ गया और परिणामत: खण्ड (4) जोड़कर अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के बारे में हुई बहस में भाग लेते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री नेहरू ने निम्नलिखित टिप्पणी की-

> इस सदन को भली-भांति मालूम है कि यह खास मामला इस खास शक्ल में मद्रास में हुई घटनाओं के कारण पैदा हुआ है और इसे दबाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है।[1]

जबकि अन्य व्यक्तियों की आम राय यह थी उक्त संशोधन की मांग को मद्रास आंदोलन से बल मिला है। शंकरय्या ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

> इससे न केवल मद्रास सरकार का संबंध है बल्कि पूरे दक्षिण भारत, मैसूर राज्य, त्रावणकोर-कोचीन और बम्बई का भी है।[2]

देशमुख के विचार से यह समस्या मद्रास तक ही सीमित नहीं थी किन्तु पिछड़े वर्गो में अपेक्षाकृत अधिक जागृति आने तथा उनके आग्रही बनने के साथ-साथ यह अन्यत्र भी उत्पन्न होनी अपरिहार्य थी।[3]

पिछड़े वर्गो को शैक्षिक अधिमान्यता प्रदान करने की वांछनीयता इस संशोधन से संबंधित बहसों का प्रमुख विषय था तथा आंशिक रूप से उनका संबंध पिछड़े वर्गो की पहचान के प्रश्न (पिछड़े वर्ग कौन से है?) से भी था।

थोड़े से विचार विमर्श के बाद उक्त संशोधन से संबंधित विधेयक 16 मई 1951 को एक प्रवर समिति को सौंपा गया था। अनुच्छेद 15(4)के संशोधन के बारे में हुई बहस 18,29,30,31 मई तथा 1 और 2 जून को हुई थी। अनुच्छेद 15(4) को सन्निविष्ट करने वाला खण्ड 1 जून को तथा संपूर्ण विधेयक 2 जून को पारित किया गया। यह संशोधन संविधान द्वारा किए गये तीन प्रमुख परिवर्तनों में से एक था। अन्य दो से हमारा संबंध नहीं है।

अनुच्छेद 15(4) के मूल प्रारूप को अनुच्छेद 15(3) में,जो स्त्रियों और बच्चों के लिये

विशेष व्यवस्था किए जाने की प्राधिकृत करता है, में निम्नलिखित शब्दों में जोड़ा जाना चाहिए था-

> अथवा नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग की शैक्षिक,आर्थिक अथवा सामाजिक उन्नति के लिये[4]

नेहरू ने इसका स्पष्टीकरण यह दिया कि प्रवर समिति ने उन शब्दों को जो अब अनुच्छेद 15(4) में है,इस कारण से चुना था कि वे (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग) अनुच्छेद 340 में विद्यमान हैं और समिति उन्हें वहां से ज्यों का त्यों लेना चाहती थी।[5]

अतएव अनुच्छेद 15(4) की भाषा 340 के समरूप है जो यह उपबंधित करता है कि पिछड़े वर्गों का आयोग जिसका गठन उक्त अनुच्छेद के अधीन किया जायेगा, नागरिकों के लिये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करेगा।इस मुद्दे पर कि क्या पहले उक्त आयोग और बाद में राष्ट्रपति द्वारा किया गया अवधारण अन्तिम होगा, सदस्य उत्तेजित हो गए। ठाकुर दास भार्गव तथा एम.ए. आयंगर[7] जैसे कुछ सदस्यों ने उक्त अवधारण के अंतिम होने की बात को यह सोचकर पसन्द किया कि उससे पिछड़े वर्ग उन वर्गों तक सीमित हो जाएंगे जिन्हें अनुच्छेद 340 के अधीन उक्त आयोग की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति विनिर्दिष्ट करेंगे जबकि हुकुम सिंह[8] और एस.पी. मुखर्जी[9] जैसे अन्य सदस्यों ने उस पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि वे इस प्रकार सीमित नहीं होते। अस्तु अनुच्छेद 340 के अधीन विनिर्दिष्ट वर्गो को इस परिसीमा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये गये एक संशोधन को सरकार ने स्वीकार नहीं किया और वह सदन में विफल हो गया।[10] सेठ गोविन्द दास और वेंकटरमण जैसे कुछ अन्य सदस्यों का विचार था कि पिछड़ वर्गों की पहचान का काम राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में रहें और उन पर अपना काम ठीक प्रकार से करने का विश्वास किया जाए।

बहसों के परिशीलन से पता चलता है कि पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण की कसौटी चाहे कुछ भी हो और उन्हें इस प्रकार से चाहे कोई भी नामोद्दिष्ट करें, उन्हें जातियों अथवा समुदायों की सूची में रखा जाना अवश्यमभावी है। तत्कालीन कानून मंत्री अम्बेडकर ने निर्भिकता पूर्वक यह टिप्पणी की कि उक्त संशोधन आवश्यक है क्योंकि ''जिन्हें हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं- वे कतिपय जातियों के एकत्रीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं।'' सदस्यों का विचार था कि इस उपबंध से साम्प्रदायिक कोटे का लाभ अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत वर्गो को न उठाने दिया जाए। यद्यपि अधिमानता प्राप्त करने के पात्र वर्गो के आर्थिक पिछड़ेपन पर बल दिया गया था, तथापि सरकार और वक्ताओं के ध्यान में मात्र गरीब ही नहीं थे। नेहरू ने तथ्यत: निम्नलिखित टिप्पणी की-

> ''हमें एक ऐसी स्थिति से निपटना है जिसमें अनेक कारणों से पिछड़े समूह, वर्ग, व्यक्ति, समुदाय उत्पन्न हो गए हैं, जिनके लिये वर्तमान पीढ़ी को दोष नहीं दिया जा सकता,

> बल्कि इसके लिये पिछली पीढ़ी जिम्मेदार है। वे आर्थिक,सामाजिक, शैक्षिक कई तरह से पिछड़े हुए हैं-कभी-कभी वे उपयुक्त रूपों में से किसी एक में पिछड़े नहीं होते हैं, किन्तु अन्य रूपों में पिछड़े होते हैं। यदि हम इन मामलों में वास्तव में उनका उत्थान चाहते हैं तो हमें उनके लिये कुछ न कुछ विशेष व्यवस्था करनी होगी।''[12]

यद्यपि उन्होंने किसी जाति विशेष का तो उल्लेख नहीं किया किन्तु यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में सभी असमानताओं को नहीं बल्कि सामाजिक ढांचे के साथ विशेष रूप से जुड़ी असमानताओं को समाप्त करने के लिये उपाय अवश्य थे।

> हम उन सभी असंख्य विभाजनों को समाप्त करना चाहते हैं- जो हमारे सामाजिक जीवन में उत्पन्न हो गये हैं। हम उन्हें आपके किसी भी मन चाहे नाम से जाति व्यवस्था अथवा धार्मिक विभाजन आदि पुकार सकते हैं। हमारे समाज में आर्थिक विभाजन है किन्तु हम उन्हें मानते हैं और उनसे निपटने की कोशिश करते हैं- किन्तु एक ऐसे सामाजिक ढ़ांचे में रहकर जिसका विकास अपने भीतर असंख्य दरारें या विभाजन लेकर हुआ है.....[13]

के.टी.शाह ने आर्थिक पिछड़ेपन का उपचार करने की आवश्यकता महसूस की थी । उन्होनें वर्ग शब्द को समाप्त करने और गुणवाचक बनाने के लिये पिछड़े वर्ग पद में ''आर्थिक रूप से'' शब्दों को जोड़ने का सुझाव दिया था।''[14] यद्यपि नेहरू को ''आर्थिक रूप से'' शब्दों के जोड़े जाने के प्रति कोई आपत्ति नहीं थी ,किन्तु वह किसी भी संशोधन को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे,क्योंकि ऐसा करने से उक्त पद अनुच्छेद 340 में प्रयुक्त भाषा से भिन्न हो जाता है। उन्होनें युक्तियुक्तरूप से कहा-

> लेकिन यदि मैं''आर्थिक रूप से'' शब्दों को जोड़ता भी हूं तो साथ ही मैं उसे संचयी नहीं बनाऊंगा, परन्तु हां यदि किसी व्यक्ति के पास इनमें से किसी चीज की कमी हो तो उसकी सहायता की जानी चाहिए।'' ''सामाजिक रूप से'' शब्द कहीं अधिक व्यापक है जिनमें अनेक बातें शामिल हैं और ''आर्थिक रूप से'' शब्द तो निश्चित रूप से उनके अंतर्गत आते हैं।[15]

सदन की प्रबल भावना यह थी कि जातियों और समुदायों की ऐसी सामाजिक असमानताओं के उपचार के लिये विशेष उपाय किये जाने आवश्यक हैं जिनके कारण समूहों के मध्य आर्थिक विषमता को बल मिलता हैं।

निष्कर्ष

बहसों से पता चलता है कि अनुच्छेद 15 के खण्ड 4 में पिछड़े वर्गों के विवेचन अनुच्छेद 340 के खण्ड 1 में उनके विवेचन के सदृश होना चाहिए। यही कारण था कि अनेक सदस्यों द्वारा

यह कहे जाने के बावजूद कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने में आर्थिक पिछड़ेपन की अवहेलना न की जाए,अनुच्छेद 15 के खण्ड 4 में ''आर्थिक रूप से'' शब्दों को स्थान नहा मिला।

समग्रत: यह स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या पिछड़ेपन का अवधारण करने के लिये ''जाति'' एक मात्र कसौटी है। इस संबंध में नेहरू और अम्बेडकर के विचारों पर ध्यान देना समीचिन है। नेहरू ने यह मत व्यक्त किया था कि हमें सामाजिक ढांचे से जुड़ी सभी असमानताएं समाप्त करनी होगी। इससे यह प्रतीत होता है कि सामाजिक ढ़ांचे से उनका तात्पर्य आर्थिक विभाजनों से इतना नहीं था जितना कि जातिगत विभाजनों अथवा धार्मिक विभाजनों से था। अम्बेडकर ने उक्त मुद्दे के संबंध में अपनी बात अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट ढंग से कही- ''जिन्हें हम पिछड़े वर्ग कहते हैं, वे कतिपय जातियों के एकत्रीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।''

पिछड़े वर्गों के आयोग की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गो का सूचीकरण अन्तिम होने के लिये अशिक्त नहीं था । राज्य सरकारों से भी पिछड़े वर्गो की पहचान करने की अपेक्षा की गई थी।

---

1. संसदीय बहस, खण्ड XI F-13 (भाग-II) कालम 9615
2. वही, 9000
3. वही, 9775
4. वही, 8029
5. वही, 9830
6. वही, 9719
7. वही, 9817
8. वही, 9823
9. वही, 9824
10. वही, 9832-33
11. वही, 9000
12. वही, 9816
13. वही,
14. वही, 8121
15. वही, 9830